तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल ...	में जारी
	1 ता 3 एवं 11,12 की ओर से अप्रार्थी सं. 4/1 प्रस्तुत जवाब को जवाब माना जावे तथा 4/3 की ओर से जवाब प्रा० पत्र हेतु पत्रावली वास्ते बहस प्रा० पत्र नियत 12/3/24 को पेश हो। [signature]	
12/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन हाजिर। TI प्रा० पत्र पर बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। पत्रा० वास्ते आदेश प्रा० पत्र नियत 21/3/24 को पेश हो।	
21/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन हाजिर। TI पर प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि दावा सं. 80 में वर्णित ख.न. 59/2 रकबा 14 बीघा ग्राम ज्यानपुरा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा जमाबंदी अनुसार निहित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण वर्णित भूमि का खातेदारी बराबर अनुपात काबिज होकर काश्त कर रहे हैं लेकिन उक्त वर्णित भूमि का बंटवारा नहीं होने से विवाद बना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रहता है। प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि को प्रार्थी द्वारा खेती किसानी व सामान करने, बाके हकदार उपयोग बलात्कार काश्त की जा रही है अतः भूमि पर प्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। अनावेदकगण उक्त भूमि को अपनी बताकर बिना विधिवत बंटवारा कराए बिना ही उक्त वर्णित भूमि का लगान, दान, विचार करने पर आमादा है अतः जब तक उक्त वाद वर्णित भूमि का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक अनावेदकगण को लगान, दान, विचार पर तात्कालिक पाबंद किया जावे। अनावेदकगण ने जवाब प्रा०पत्र में आवेदित तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि प्र०10 पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी व अनावेदक सं. 5 ता 10 का 1/3 हिस्सा है। जिसमें केवल प्रार्थी का 1/21 बनता है। किन्तु प्रार्थी ने प्रा०पत्र में अपना हक व हिस्सा अंकित नहीं किया है उपरान्त वर्णित भूमि का कोई बंटवारा नहीं हो सका है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी व	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म के में तारीख हुक्म
	उसके भाई केवल अप्रार्थी संख्या 5 ता 10 ने जरिये रजि० विक्रय पत्र खरीद की है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने भी उक्त भूमि जरिये रजि० क्रय की थी। इस प्रकार अनुसार प्रार्थी की उक्त खाते भूमि में 31/84 हिस्सा 1/12 हिस्से के रिकार्ड है अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 11,13 उक्त भूमि पर नामान्तरण किये जाने पर अनुमति है। अब विवाद प्रार्थी के साथ भाई केवल है जिसने प्रार्थी के कुछ हिस्से का अतिक्रमण कर दिया, परेशान करने के उद्देश्य से उक्त वाद में हस्तक्षेप स्थगन आदेश की मांग है। प्रार्थी की उक्त भूमि में केवल 1/21 की 13 बिस्वा भूमि है जिसमें अतिक्रमण का कोई आधार नहीं है अतिक्रमण स्थायी व्यादेश एवं वाद खसरा की भूमि के विरुद्ध व्यादेश बनता है स्थायी भूमि पर ही प्रथम ने आवेदन का आवेदन करने का प्रार्थना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिकार की कोई रिपोर्ट में आवेदकगण के विरुद्ध किसी भी निषेधाज्ञा के पारित करने का कोई कानूनिक अधिकार नहीं है है। प्रार्थी का प्रा०पत्र खारिज किया जाना विधिसंगत होगा। विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्षकार की बहस का सम्पूर्ण न्यायिक से चिन्तन मनन किया। पत्राव व निगरानी प्रस्तुतिकरण का विचार के आलोक में अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन व बहस के चिन्तन मनन, न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार करने ० विधि नहीं दिखाई देता है! प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली संचित अभिलेख नियत काम की जाय आदेश सुना दिया गया। [signature]	
	सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक) भिनाई	